

## निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक: 86910 / नि०वि०ले०/ए०ए०ओ० स्था०-2024/2024-2025 दिनांक: 07 जून, 2024।

### कार्यालय-ज्ञाप / स्थानान्तरण आदेश

“उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017” एवं शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में दिये गए मानक व दिशानिर्देश, तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में निदेशालय विभागीय लेखा के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा- 7 (सुगम से दुर्गम, में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अधीन दिनांक 05, जून, 2024 को दी गयी संस्तुति के अनुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों में तैनात निम्नलिखित तालिका के कालम-2 में अंकित सहायक लेखाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख वर्तमान तैनाती के स्थान, कालम-3 से स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती के स्थान, कालम -4 पर एतद्वारा स्थानान्तरण पर तैनात किया जाता है-

क्र०सं०	सहायक लेखाधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान/कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामेश्वर सिंह पंवार	प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय वन मुख्यालय, देहरादून।	कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढवाल मण्डल, पौड़ी।	विकल्प के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष

1- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा- 10 के अधीन पात्र होगा।

2- अधिनियम में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होने व 10 दिनों के भीतर नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित विभागों व कोषागारों से अनुरोध है कि आदेश निर्गत होने के सात दिन पश्चात् कार्यमुक्त नहीं होने के दशा में वेतन का आहरण न किया जाय।

4- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर अधिनियम की धारा-22 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**Signed by Ganga Prasad**

**Date: 07-06-2024 18:30:44**

( गंगा प्रसाद )

निदेशक।

पत्रांक व दिनांक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष।
4. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
6. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी।

ह0 / -  
( गंगा प्रसाद )  
निदेशक।

## निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक: 86914 / नि०वि०ले०/ए०ए०ओ० स्था०-2024/2024-2025 दिनांक: 07 जून, 2024।

### कार्यालय-ज्ञाप / स्थानान्तरण आदेश

“उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017” एवं शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में दिये गए मानक व दिशानिर्देश, तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में निदेशालय विभागीय लेखा के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा- 10 (दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अधीन दिनांक 05, जून, 2024 को दी गयी संस्तुति के अनुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों में तैनात निम्नलिखित तालिका के कालम-2 में अंकित सहायक लेखाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख वर्तमान तैनाती के स्थान, कालम-3 से स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती के स्थान, कालम -4 पर एतद्वारा स्थानान्तरण पर तैनात किया जाता है।

क्रम०सं०	सहायक लेखाधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान/कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री नजमुद्दीन	कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल।	कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, राजपुर रोड देहरादून।	रिक्त पद के सापेक्ष

- 1- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक सुगम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा- 07 के अधीन पात्र होगा।
- 2- अधिनियम में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होने व 10 दिनों के अन्दर नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित विभागों व कोषागारों से अनुरोध है आदेश निर्गत होने के सात दिन पश्चात् कार्यमुक्त नहीं होने के दशा में वेतन का आहरण न किया जाय।
- 4- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर अधिनियम की धारा-22 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**Signed by Ganga Prasad**  
**Date: 07-06-2024 18:32:28**  
(गंगा प्रसाद),  
निदेशक

पत्रांक व दिनांक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. - सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
4. - सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. - सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
6. - सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी।

ह0/—  
(गंगा प्रसाद),  
निदेशक

## निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक: 86923 / नि०वि०ले०/ए०ए०ओ० स्था०-2024 / 2024-2025 दिनांक: 07 जून, 2024।

### कार्यालय-ज्ञाप / स्थानान्तरण आदेश

“उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017” एवं शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 में दिये गए मानक व दिशानिर्देश, तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में निदेशालय विभागीय लेखा के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा- 13 (अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण) के अधीन दिनांक 05, जून, 2024 को दी गयी संस्तुति के अनुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों में तैनात निम्नलिखित तालिका के कालम-2 में अंकित सहायक लेखाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख वर्तमान तैनाती के स्थान, कालम-3 से स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती के स्थान, कालम -4 पर एतद् द्वारा स्थानान्तरण पर तैनात किया जाता है।

क्रमसं०	सहायक लेखाधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान/कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री गणेश प्रसाद डंगवाल	संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	निदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।	अधिनियम की धारा-17(ख)(एक)के अधीन
2.	श्री हरीश कुमार नाथ	उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद।	निदेशालय कृषि, विभाग, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर देहरादून।	अधिनियम की धारा-17(ख)(पांच) के अधीन
3.	श्री कमल किशोर उप्रेती	सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमाऊँ सम्भाग हल्द्वानी।	कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी	अधिनियम की धारा-18(3) के अधीन
4.	श्री सुधांशु श्रीवास्तव	कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।	सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमाऊँ सम्भाग हल्द्वानी।	अधिनियम की धारा-18(3)के अधीन
5.	श्री अरविन्द कुमार	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विवि. ऋषिकुल हरिद्वार।	राजकीय मुद्रणालय, रुड़की।	अधिनियम की धारा-17(ख)(पांच) के अधीन

- 1— उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक सुगम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा- 07 के अधीन पात्र होगा।
- 2— अधिनियम में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होने व 10 दिनों के भीतर नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित विभागों व कोषागारों से अनुरोध है कि आदेश निर्गत होने के सात दिन पश्चात् कार्यमुक्त नहीं होने के दशा में वेतन का आहरण न किया जाय।
- 4— उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर अधिनियम की धारा-22 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5— अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित उपरोक्त कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**Signed by Ganga Prasad**

**Date: ~~07-06-2024~~ 18:38:23**

निदेशक

**पत्रांक व दिनांक:—उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. - मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल।
4. - सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
5. - सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. - सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
7. - सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारीगण।

ह0/—  
(गंगा प्रसाद),  
निदेशक